उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक  –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/EDO  दिनांकः 30–04–2025

विषयः– कारपोरेशन के अन्तर्गत समस्त कार्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में।

**अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध**

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/परियोजना/जानपद),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
..............................................................।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 556/xxxi(15)G/25-34(सा0)/2017 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कि शासनादेश संख्या 531/xxxi(15)G22/34(सा0)/2017, दिनांक 02.05.2022 एवं पत्रांक 579/xxxi(15) G22/34(सा0)/2017, दिनांक 18.05.2022 के माध्यम से शासन द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली राज्य में कार्यरत समस्त सेवाओं के समस्त अधिकारी/कार्मिक, आउटसोर्स कार्मिक तथा होमगार्ड व पी0आर0डी0 आदि पर प्रभावी की गयी है, के क्रम में अवगत कराया गया है कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है तथा यह भी इंगित किया है कि कतिपय विभागों में बायोमैट्रिक मशीन खराब होने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज किये जाने के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। उक्त के क्रम में शासन द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सम्बन्ध में समस्त विभागों/कार्यालयों की विधिवत् समीक्षा करते हुए इसे समस्त कार्यालयों में शत्–प्रतिशत लागू कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में भी कारपोरेशन ज्ञाप संख्या 7518/निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 05.07.2017 एवं ज्ञाप संख्या 1893–महाप्रबन्धक(मानव संसाधन)/उपाकालि दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से निगमीय कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक आधारित उपस्थिति अनुश्रवण प्रणाली [Biometric Based Attendance Monitoring System–BBAMS (बी0बी0ए0एम0एस0) लागू किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेशों/कारपोरेशन आदेशों के अनुपालन में अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व आउटसोर्स कार्मिकों हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अविलम्ब शत–प्रतिशत् लागू कराते हुए अनुपालन आख्या प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकन हेतु शीघ्रताशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को अवश्यमेव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में त्रैमासिक आधार पर अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों की बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की समीक्षा/अनुश्रवण करते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

*संलग्नक :– यथोपरि।*

( डॉ0 आर0 जे0 मलिक )
अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन)

पत्रांक 1896 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/EDO  तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता (सा0प्र0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रो0)/(का0में0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

*संलग्नक :– यथोपरि।*

( डॉ0 आर0 जे0 मलिक )
अधिशासी निदेशक (मानव संसाधन)

संख्या–556/xxxi(15)G/25-34(सा0)/2017

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 15 अप्रैल, 2025

विषयः– **राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश सं0– 531, दिनांक 02 मई, 2022 एवं शासनादेश सं0– 579, दिनांक 18 मई, 2022 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रत्येक कार्य दिवस एवं निर्धारित समयावधि में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू किये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है तथा यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागो में बायोमैट्रिक मशीन खराब होने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज किये जाने के प्रति उदासीनता बरती जा रही है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त विभागों/कार्यालयों की विधिवत समीक्षा करते हुए इसे समस्त कार्यालयों में शत–प्रतिशत लागू कराये जाने के लिये समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
**संलग्न : यथोपरि।**

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

संख्या– /xxxi(15)G/25-34(सा0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

संख्या–531./xxxi(15)G22-/34(सा0)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 02 मई, 2022

विषयः— राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली की व्यवस्था पूर्व की भांति सुचारू किये जाने हेतु।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कार्मिकों की प्रत्येक कार्य दिवस एवं निर्धारित समयावधि में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली राज्य में कार्यरत समस्त सेवाओं के समस्त अधिकारी/कार्मिक, आउटसोर्स कार्मिक तथा होमगार्ड व पी0आर0डी0 आदि पर प्रभावी होगी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:—

2— बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सुचारू संचालन एवं रख—रखाव हेतु सम्बन्धित विभाग आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

3— बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:—

(1) समस्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को निर्धारित समयान्तर्गत आने व जाने के समय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यदिवस हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

(2) बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के उपरान्त सभी कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय खुलने के निर्धारित समय से 15 मिनट के अन्दर आने की उपस्थिति दर्ज किया जाना एवं जाने के लिए निर्धारित समय पर बायोमैट्रिक प्रणाली में उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

कृ0पृष्ठ—2

(3) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी अपरिहार्य कारणों से कार्यालय खुलने के निर्धारित समय से 15 मिनट के अन्दर उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ है अथवा उसे कार्यालय बन्द होने के लिए निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय से जाना आवश्यक है, तो ऐसी दशा में उसे देरी से आने अथवा जल्दी जाने के कारण से अपने नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व आवेदन पत्र द्वारा सूचित करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में एस0एम0एस0/ई–मेल द्वारा सूचना प्रेषित की जा सकती है। नियंत्रक अधिकारी द्वारा बताये गये कारण का संज्ञान लेते हुए उपस्थिति को नियमित किये जाने के लिए विवेकानुसार निर्णय लिया जायेगा।

(4) कोविड–19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करते समय उपस्थिति दर्ज करने से पूर्व एवं उपस्थिति दर्ज करने के उपरान्त हाथों को सेनिटाईज किया जाना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंशिंग एवं अन्य कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन उपस्थिति दर्ज कराते समय किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को अपने आवास से सीधे किसी बैठक/मा0 आयोगों/मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरणों में निर्धारित तिथि में प्रतिभाग किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी दशा में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व आवेदन पत्र द्वारा सूचित करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में एस0एम0एस0/ई–मेल द्वारा सूचना प्रेषित की जा सकती है।

(6) जानबूझकर विलम्ब से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार उनकी सेवा से सम्बन्धित सुसंगत नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ छेड़–छाड़ किये जाने सम्बन्धी कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विरूद्ध माना जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव।

संख्या– 531 /xxxi(15)G/22/34(सा0)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

1/36039/2022

संख्या–579 /xxxi(15)G22/34(सा0)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
6–समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 18 मई, 2022

विषयः– राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 531/xxxi(15)G22/34(सा0)/2017 दिनांक 02 मई 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कार्मिकों की प्रत्येक कार्यदिवस एवं निर्धारित समयावधि में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस आदेश के अनुपालन की वर्तमान स्थिति के आंकलन हेतु समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) के स्तर पर निम्न बिन्दुओं पर तत्काल परीक्षण अपेक्षित हैः–

(i) बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की यह व्यवस्था लागू किये जाने के बाद से आपके अधीनस्थ कितने विभागों/कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू की गयी है, कितने विभागों/कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है तथा कितने विभागों/कार्यालयों में इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? जिन विभागों/कार्यालयों में अभी तक यह व्यवस्था नहीं अपनाई गयी है, उनमें यह व्यवस्था कब तक लागू किये जाने की संभावना है।

(ii) जिन विभागों/कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है उन विभागों/कार्यालयों में कुल अधिकारियों/कर्मचारियों के सापेक्ष कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करायी जा रही है तथा कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अभी तक इस प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जा रही है।

(iii) विभागों में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करायी जा रही है उनमें से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय खुलने के निर्धारित समय के 15 मिनट के अन्तर्गत तक, कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय खुलने के निर्धारित समय के 15 मिनट के उपरान्त तथा 30 मिनट के अन्तर्गत तक तथा कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 30 मिनट के उपरान्त अपनी उपस्थिति दर्ज करायी जा रही है, इनकी संख्या एवं प्रतिशत के बारे में जानकारी प्रदान की जाये।

(1)

I/36039/2022

3. अतएव अनुरोध है कि कृपया बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के बारे में अपने अधीनस्थ समस्त विभागों/कार्यालयों की विधिवत् समीक्षा करते हुए इसे समस्त कार्यालयों में शत–प्रतिशत लागू कराये जाने के लिये समुचित कार्यवाही करें तथा उपरोक्त वर्णित प्रस्तर – 2 पर इंगित बिन्दुओं के बारे में अपनी आख्या सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में विभागों के स्तर पर हुई प्रगति की समीक्षा पृथक से शीघ्र ही की जायेगी।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 18-05-2022 16:10:58

(डॉ० सुखबीर सिंह संधु)
मुख्य सचिव

संख्या–579 /xxxi(15)G22/34(सा0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 18-05-2022 19:33:47

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)